न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, रोसड़ा

सत्र विचारण वाद संख्या–414/13

अनुसंधानकर्त्ता की गवाही

26.07.2019

अभियुक्त सौदागर दास की हाजरी दी गयी तथा अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्त्ता जयनाथ शरण पुलिए अवर निरिक्षक की हाजरी अभियोजन साक्षी के रूप में वि0 अपर लोक अभियोजक के द्वारा दायर किया गया। विदित हो कि प्रस्तुत मुकदमे के अन्य अभियुक्त धन्नु दास दूसरे सत्रवाद संख्या– 81/19 में अभिरक्षा में हैं तथा उनका अभिलेख भी प्रस्तुत अभिलेख के साथ–साथ इसी न्यायालय में चल रहा है।

वि0 एपीपी ने निवेदन किया कि दोनों अभिलेखों में संयुक्त रूप से प्रस्तुत अनुसंधानकर्त्ता की गवाही दर्ज करने से सुविधा तथा समय की बचत होगी। वि0 सफाई अधिवक्ताओं ने भी सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया।

ऐसी परिस्थिति में अनुसंधानकर्त्ता जयनाथ शरण की गवाही प्रस्तुत मुकदमें में अभियोजन साक्षी संख्या–9 तथा दूसरे मुकदमें में अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया।

परिक्षण के दौरान पुलिस कागजातों को प्रदर्श के रूप में भी अंकित किया गया। अभियुक्त सौदागर दास की ओर से वि0 अ0 श्री सीताराम यादव ने प्रति–परीक्षण किया तथा अभियुक्त धन्नु दास की ओर से वि0 अ0 श्री शशिकांत साहनी ने प्रति–परीक्षण किया। परिक्षणोपरांत साक्षी को उन्मोचित किया गया।

अग्रिम अभियोजन साक्ष्य वास्ते अभिलेख दि0. 09.08.2019 को प्रस्तुत करें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,द्वितीय
रोसड़ा